वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एटा।
Veerangna AvantiBai Lodhi Autonomous State Medical College, Etah
Email ID- gmcetah@gmail.com Website- www.asmcetah.org

पत्रांकः मे0का0एटा/2026/74 दिनांक 18/08/2026

-: E.O.I.(Expression of Interest) Invitation :-

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 एवं चार्टर्ड अकांउटेंट अधिनियम 1988 के तहत पंजीकृत इच्छुक फर्म से ई.ओ.आई. आमंत्रित की जाती है। इच्छुक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ई.ओ.आई. के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर अपना प्रोफाइल gmcetah@gmail.com पर जमा कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में अन्य समस्त सूचना www.valasmcetah.edu.in पर तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। इच्छुक फर्म E.O.I. (Expression of Interest) के साथ अपना वित्तीय प्रस्ताव अपने लेटर हैड पर अंकित कर बन्द लिफाफे के साथ समस्त अभिलेखों सहित स्वयं अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, एटा के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगी।

18/08/26

प्रधानाचार्य,
वीरांगना अवन्ती बाई लोधी,
ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज,
एटा।

Scanned with OKEN Scanner

चार्टर्ड अकांटेंट अधिनियम 1949 एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1988 के अन्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के चयन के लिए निम्नलिखित नियम/शर्तें अनिवार्य हैं–

1. चार्टर्ड अकाडंटेंट फर्म का सम्बन्धित क्षेत्र में वित्तीय वर्ष–2026–27 तक कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
2. चार्टर्ड अकांटेंट अधिनियम 1949 एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1988 के अन्तर्गत समस्त आवश्यक अभिलेख।
3. फर्म का जी.एस.टी. एवं आयकर प्रमाण पत्र।
4. सम्बन्धित चार्टड अकाटेंट फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/संस्था/निगम द्वारा विगत वर्षों में काली सूची में ना डाले जाने का एवं मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित ना होने का शपथ पत्र रू. 100/– के स्टाम्प पर देना अनिवार्य होगा।
5. चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त प्रकरण जो कि आयकर विभाग, जी0सी0टी0 विभाग इत्यादि कार्यालयों से आच्छादित होंगे, के समयान्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित चार्टड अकाटेंट फर्म का होगा।
6. चार्टर्ड अकाडंटेंट फर्म के प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से ~~आवश्यकतानुसार~~ अपनी सेवायें गुणवत्ता पूर्वक एवं समयबद्ध रूप से वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एटा सम्बद्ध चिकित्सालय के कार्यालय में प्रदान करना होगा।
7. उपरोक्त सेवाओं के गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन के उपरान्त फर्म के बिलों का भुगतान फर्म द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत नियमानुसार प्रत्येक छमाही किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

चार्टर्ड अकांटेंट अधिनियम 1949 एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1988 के तहत चिकित्सा महाविद्यालय के लेखा विभाग में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हेतु कार्य।

(Scope of Work)

1. चिकित्सा महाविद्यालय का नियमानुसार मासिक TDS Return जमा कराया जाना।
2. चिकित्सा महाविद्यालय का नियमानुसार मासिक GST Return जमा कराया जाना।
3. प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को Form 16 उपलब्ध कराया जाना।
4. चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित विभिन्न खातों/कैशबुक इत्यादि की इन्टर्नल आडिट करना।
5. चिकित्सा महाविद्यालय की नियमानुसार बैलेंस शीट, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि तैयार किया जाना।
6. चिकित्सा महाविद्यालय में लेखा विभाग (एकाउन्ट सेक्शन) से सम्बन्धित लेजर, ब्रॉडशीट एवं अन्य समस्त अभिलेखों को समयान्तर्गत पूर्ण करना।
7. चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त प्रकरण जो कि आयकर विभाग, जी0एस0टी0 विभाग इत्यादि कार्यालयों से आच्छादित होंगे, के समयान्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण।

उपरोक्त सभी सम्बन्धित कार्यों सम्पादित करने हेतु प्रत्येक कार्य की दर दर्शाते हुए मदवार एवं वार्षिक समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner